



2026:AHC:163591

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या - 2052 सन् 2026

ललित कुमार एवं 2 अन्य आवेदक
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य एवं 1 अन्य प्रत्यर्थी

आवेदक के अधिवक्ता	:- पुष्पेंद्र विश्वकर्मा
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता	:- अनिकेत कुमार, जी.ए., केशरी नाथ त्रिपाठी

न्यायालय संख्या - 83

माननीय न्यायमूर्ति चवन प्रकाश

1. आज प्रस्तुत पूरक शपथ-पत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री केशरी नाथ त्रिपाठी का ब्रीफ होल्डर अधिवक्ता सुश्री खुशी सिंह तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
3. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत वर्तमान आवेदन, आवेदक द्वारा निम्नलिखित प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है:

"अतः अत्यंत सादर प्रार्थना है कि यह माननीय न्यायालय कृपापूर्वक आरोप-पत्र संख्या 330/2022 दिनांकित 22.11.2022 एवं दिनांक 23.03.2023 के संज्ञान आदेश तथा केस संख्या 13133/2023 (राज्य बनाम ललित कुमार एवं अन्य), मुकदमा अपराध संख्या 328/2022, धारा 498ए, 323, 325, 506 आई.पी.सी. एवं 3/4 डी.पी. अधिनियम के अंतर्गत, थाना कांठ, जनपद मुरादाबाद, की संपूर्ण कार्यवाही समझौते के आधार पर खारिज करने की कृपा करे।"

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवेदक एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपना विवाद न्यायालय के बाहर सौहार्दपूर्वक निपटा लिया है। आवेदक ने पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के निबंधनों पर कार्यवाही खारिज किए जाने की प्रार्थना के साथ यह आवेदन प्रस्तुत कर इस न्यायालय से संपर्क किया; इस न्यायालय ने दिनांक 6.2.2026 के आदेश द्वारा पक्षकारों को अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निर्देशित किया कि वे पक्षकारों एवं समझौता आवेदन के सत्यापन हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों। विचारण न्यायालय ने दिनांक 27.2.2026 के आदेश द्वारा पक्षकारों एवं समझौता आवेदन का सत्यापन किया। उन्होंने आगे निवेदन किया कि आवेदक एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 ने विषय में समझौता कर लिया है तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 आवेदक के विरुद्ध विषय को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। उन्होंने आगे निवेदन किया कि आवेदक एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 ने समझौते के माध्यम से अपना विवाद निपटा लिया है और इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 2 आवेदक के विरुद्ध उपरोक्त वाद पर बल देना नहीं चाहता। प्रत्यर्थी संख्या 2 आवेदक का अभियोजन वापस लेने को तैयार है तथा समझौते के दृष्टिगत, यदि अभियोजन को चलने दिया जाता है तो कोई सार्थक प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

5. प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए निवेदन की सत्यता अथवा उनके द्वारा अवलंबित दस्तावेजों की सत्यता को विवादित नहीं करते। वे निवेदन करते हैं कि यदि उपरोक्त वाद की कार्यवाही खारिज कर दी जाती है तो प्रत्यर्थी संख्या 2 को कोई आपत्ति नहीं है।

6. विद्वान ए.जी.ए. ने निवेदन किया कि दोनों पक्षकारों ने अपना विवाद न्यायालय के बाहर निपटा लिया है, अतः आगे कार्यवाही करने का कोई कारण नहीं है।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *नरिंदर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य, (2014) 6 एस.सी.सी. 466*, *परबतभाई आहिर उर्फ परबतभाई बनाम गुजरात राज्य, (2017) 9 एस.सी.सी. 641*, *ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2012) 10 एस.सी.सी. 303* तथा *मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायणन, (2019) 5 एस.सी.सी. 688* के वादों में स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि कतिपय संज्ञेय एवं अशमनीय अपराधों के संबंध में भी पक्षकारों के मध्य समझौता किया जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा *शैफुल्लाह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [2013 (83) ए.सी.सी. 278]* में दिए गए निर्णय का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें उपरोक्त वादों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि की विस्तार से व्याख्या की गई है।

8. वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत निवेदनों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि उपरोक्त वाद की कार्यवाही को लंबा खींचने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।



9. तदनुसार, आरोप-पत्र संख्या 330/2022 दिनांकित 22.11.2022 एवं दिनांक 23.03.2023 के संज्ञान आदेश तथा केस संख्या 13133/2023 (राज्य बनाम ललित कुमार एवं अन्य), मुकदमा अपराध संख्या 328/2022, धारा 498ए, 323, 325, 506 आई.पी.सी. एवं 3/4 डी.पी. अधिनियम के अंतर्गत, थाना कांठ, जनपद मुरादाबाद, की संपूर्ण कार्यवाही एतद्वारा खारिज की जाती है।

10. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत यह आवेदन तदनुसार स्वीकार किया जाता है।

(चवन प्रकाश, न्यायमूर्ति)

5 अगस्त, 2026

मो. फैसल

Translated Version, Not For Legal Use.